कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 585 /आउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 26-12-09

प्रति,

1– **क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, (समस्त)**
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

2– **प्राचार्य, (समस्त)**
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः–वरिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन के संबंध में।

–:0:–

गत दिनों इस कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के परीक्षण से यह तथ्य जानकारी में आया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुशंसित एवं राज्य शासन के द्वारा अनुमोदित ''कैरियर एडवांसमेंट स्कीम'' के संबंध में पर्याप्त जानकारी अधिकारियों तक नहीं पहुंच सकी है, जिसके कारण पात्रता न होने पर भी अनावश्यक आवेदन पत्र इस कार्यालय को बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। दुर्भाग्य से प्राचार्य भी आवेदनों का परीक्षण कर अपने स्तर पर निराकरण करने के स्थान पर उन्हें यंत्रवत इस कार्यालय को अग्रेषित कर देते हैं, जिससे इस कार्यालय का काम अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है।

कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का मुख्य उद्देश्य अच्छा कार्य करने वाले सहायक प्राध्यापकों को प्रौत्साहित करना है और यह टाईम स्कल पदोन्नति नहीं है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित समय–सीमा तक लगातार कम से कम **''अच्छा''** श्रेणी का मूल्यांकन होना एवं विषय की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित संख्या में उन्मुखीकरण तथा पुनश्चर्या कार्यक्रम पूर्ण करने पर प्रोत्साहन के तौर पर अग्रिम वेतन में स्थानन की कार्यवाही की जाती है, जिन अधिकारियों का मूल्यांकन अच्छा श्रेणी का नहीं होता है अथवा जिनके द्वारा निर्धारित संख्या में उन्मुखीकरण तथा पुनश्चर्या कार्यक्रम पूर्ण नहीं किये जाते हैं उन्हें संबंधित अर्हताओं के पूर्ण होने पर ही अग्रिम वेतनमान में स्थानन का लाभ दिया जा सकता है।

प्राप्त आवेदनों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों में यह भ्रांति व्याप्त है कि समयमान वेतनमान की तरह किसी वेतनमान में निर्धारित वर्ष तक कार्य करने के बाद वे स्वतः ही इस योजना के अंतर्गत अग्रिम वेतनमान के पात्र हो जाते हैं जो पूर्णतः गलत है एवं योजना की भावनाओं के विपरीत है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षकों को निरंतर (बिना किसी व्यावधान के) अच्छा कार्य करने एवं अपने ज्ञान को अद्यतन करने के लिए निर्धारित संख्या में उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम पूर्ण होने पर प्रोत्साहन के तौर पर आगामी वेतनमान में स्थानन करने का लाभ दिया जाता है, ताकि शिक्षकों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए यह अनुरोध है कि स्थानन संबंधी समस्त आवेदन पत्र प्राचार्य के द्वारा परीक्षण कर अपने अभिमत सहित अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के माध्यम से ही इस कार्यालय को प्रेषित किये जायेंगे तथा अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा उनके स्तर पर संधारित गोपनीय. चरित्रावलियों से परीक्षण कर पात्र होने पर पात्रता के प्रमाण–पत्र के साथ ही आवेदन पत्र इस कार्यालय को अग्रेषित करेंगे एवं अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित करेंगे, यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि प्राचार्य एवं अतिरिक्त संचालक के स्तर पर अधिकारी को पात्र नहीं पाये जाने पर कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र उसी स्तर से वापस कर दिया जायेगा ताकि आयुक्त कार्यालय में पात्रता विहीन सहायक प्राध्यापकों के आवेदन पत्र बिना परीक्षण के भेजने से कार्य का अनावश्यक बोझ न बढ़े।

प्रकरण का परीक्षण करते समय पूर्ण वस्तुनिष्ठता एवं सावधानी बरती जाए तथा अधीनस्थ स्तर से अमान्य होने पर संबंधित को कारण दर्शाते हुए सूचना भी दी जाए।

यदि पात्रता न होते हुए भी अथवा पात्रता का परीक्षण न करते हुए यंत्रवत आवेदन पत्रों को इस कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा तो प्रेषितकर्ता अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विवश होना पड़ेगा।

प्राचार्य यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी अधिकारी के द्वारा स्थानन हेतु अर्हता प्राप्त होने पर अर्हता प्राप्त करने के माह में ही सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव अतिरिक्त संचालक को प्रेषित कर दिया जाए जहां से अधिकतम 15 दिवस में उक्त आवेदन आयुक्त कार्यालय को प्राप्त हो जाए, ताकि स्थानन के प्रकरणों में विलंब न हो।

इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें एवं इससे अपने अधीनस्थों को भी अवगत करवाने का कष्ट करें जिससे अनावश्यक पत्र व्यवहार में कमी लायी जा सके।

संलग्नः– स्थानन संबंधी नियम।

26.12.2009

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,

पृ. क्रमांक 586 /आउशि/नि.का/09 भोपाल, दिनांक 26-12-09

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव, मा0 मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।

2– निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।

26.12.2009

आयुक्त
उच्च शिक्षा विभाग,